संख्या-629/ग्यारह-5-2012-312(297)/10

प्रेषक

वीरेन्द्र प्रताप सिंह

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

महानिरीक्षक निबन्धन

उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय,

लखनऊ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 23 मार्च, 2012

विषयः- वेतन समिति (2008) एवं मुख्य सचिव समिति की संस्तुति के आधार पर स्टाम्प एवं निबन्धन के सम्बन्ध में पद्वार दी गयी विस्तृत संस्तुतियों को लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (वेतन) आयोग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-3186/दस-54(एम)/08-टी0सी0 दिनांक 22 नवम्बर, 2010 एवं शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-117/दस-54(एम)/08-टी0सी0 दिनांक 22,03.2012 के अनुपालन में स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के वेतनमान संशोधित/उच्चीकृत किये जाने विषयक पूर्व निर्गत आदेश संख्या-क0नि0-5-3964/11-2006-312(45)/2006 दिनांक 29 नवम्बर, 2006 को संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग में उपलब्ध, उपनिबन्धक संवर्ग के लिये निम्न व्यवस्था दिनांक 22.11.2010 से लागू करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्र0 सं0	पदनाम/(पदों की संख्या)	वेतनमान पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0 में)	अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया
1	2	3	4
1.	अपर महानिरीक्षक निबन्धन/अपर आयुक्त स्टाम्प (02)	14300-18300 वेतन बैण्ड-4 एवं ग्रेड वेतन 8700/-	उप महानिरीक्षक निबन्धन/ उपायुक्त स्टाम्प के पदधारकों से शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
2.	उप महानिरीक्षक निबन्धन/उपायुक्त स्टाम्प (23)	12000-16500 वेतन बैण्ड-3 एवं ग्रेड वेतन 7600/-	सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/ सहायक आयुक्त स्टाम्प के पदधारकों से शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
3.	सहायक महानिरीक्षक	10000-15200 वेतन बैण्ड-3	उपनिबन्धक ग्रेड-1 के पदधारकों

	निबन्धन/सहायक आयुक्त स्टाम्प (89)	एवं ग्रेड वेतन 6600/-	से शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
4.	उप निबन्धक ग्रेड-1 (120)	8000-13500 वेतन बैण्ड-3 एवं ग्रेड वेतन 5400/-	उपनिबन्धक ग्रेड-2 के पदो से वरिष्ठता के आधार पर शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
5.	उप निबन्धक ग्रेड-2 (234)	6500-10500 वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन 4600/-	(क) विधि स्नातक की अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती के पद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से। (ख) पदोन्नति कोटे के 25 प्रतिशत पद उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली-1983 के प्राविधानों के अनुसार।

2- उप निबन्धक ग्रेड-1 वेतनमान रू0 8000-13500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/-) के कुल 120 पदधारकों की तैनाती स्थल, 86 सदर कार्यालयों तथा मण्डलीय कार्यालयों अथवा अन्य महत्वपूर्ण कार्यालयों में, इस प्रतिबन्ध के साथ महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा निर्धारित किया जाये कि सभी जनपदों में न्यूनतम एक पदधारक तैनात हो जाये तथा कार्यात्मक आवश्यकतानुसार बड़े जनपद में से एक से अधिक पदधारक उपलब्ध हो जायें। शेष कार्यालयों में वेतनमान रू0 6500-10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/-) के 234 उप निबन्धक पद के पदधारको का तैनाती स्थल महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा निर्धारित किया जाये।

3- उप निबन्धक ग्रेड-1 द्वारा अपने कार्यो के सम्पादन के साथ-साथ सम्बन्धित जिले के विभिन्न निबन्धन कार्यालयों के मध्य समन्वय का कार्य भी सम्पादित किया जायेगा। एक जिले में एक से अधिक उप निबन्धक ग्रेड-1 की तैनाती होने की स्थिति में उपर्युक्त समन्वय का कार्य सम्बन्धित जिले में तैनात वरिष्ठतम उप निबन्धक ग्रेड-1 द्वारा समपादित किया जायेगा।

4- स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग में उपलब्ध सामान्य कोटि के पदों/संवर्गो पर समिति द्वारा पूर्व में दी गयी संस्तुतियां लागू होंगी।

5- यह आदेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-225/ दस-12 दिनांक 23.03.2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

ह0/-

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव

संख्या-629(1)/ग्यारह-5-2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- लोक सेवा आयोग,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
3- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2(तीन-तीन प्रतियों में)
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
5- कार्मिक अनुभाग-1/2
6- गार्ड फाइल

आज्ञा से
(मधु माथुर)
उप सचिव